

(१०)

नेपाल राजपत्र भाग ३

श्री ५ को सरकार  
अर्थ मन्त्रालयको  
सूचना

बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले कृषि औजार कारखाना लिमिटेडले कृषि औजार उत्पादन गर्नेको लागि खरीद गर्न देहायका कच्चा पदार्थ कम्पोनेन्ट पार्ट्समा हाललाई ३ वर्षसम्मको लागि पूर्ण रूपले बिक्री कर नलाग्ने गरी छुट दिएको छ ।

तपसील

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| १. च्यानल                        | ७० टन                          |
| २. सिटरष्टीप स्टील               | १८० टन                         |
| ३. राउण्ड तथा स्क्वायर स्टील     | ४० टन                          |
| ४. एङ्गल आइरन                    | ५५ टन                          |
| ५. पिग आइरन                      | २० टन                          |
| ६. स्टील बायर                    | ४ टन                           |
| ७. नट बोल्ट, वासर                | १५ टन                          |
| ८. हार्डकोक                      | ५० टन                          |
| ९. टायर ट्युब                    | ३५० सेट                        |
| १०. हव विथ एक्सल वेयरिङ          | ३५० सेट                        |
| ११. ड्रेलर लीफ स्प्रिङ           | २०० सेट                        |
| १२. टेन्सन तथा कम्प्रेसन स्प्रिङ | ३००० थान                       |
| १३. वेयरिङ                       | २५०० थान                       |
| १४. डिस्क                        | १००८ थान                       |
| १५. इलेक्ट्रोड्स                 | १२५००० थान                     |
| १६. ग्राइण्डिङ व्हील             | ५० थान                         |
| १७. फर्नेस आयल                   | २५००० लिटर                     |
| १८. रङ्ग रोगन                    | २००० लिटर                      |
| १९. तारपिन                       | १००० लिटर                      |
| २०. प्राइमर                      | १२०० लिटर                      |
| २१. पाइप                         | ३००० मिटर                      |
| २२. टूल्स र स्पेयर पार्ट्स       | रु. १५,०००। बराबरको मालसामान । |

आज्ञाले-

भरतबहादुर प्रधान

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता सुवर्ण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

४०६